

शहरी विकास मंत्रालय

मांग संख्या 101

लोक निर्माण कार्य

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

| | | बजट 2004-2005 | | | संशोधित 2004-2005 | | | बजट 2005-2006 | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| मुख्य शीर्ष | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | | 5.00 | 459.40 | 464.40 | 6.14 | 459.40 | 465.54 | 6.00 | 477.32 | 483.32 | |
| पूंजी | | 101.44 | 139.60 | 241.04 | 100.30 | 139.60 | 239.90 | 98.33 | 139.65 | 237.98 | |
| जोड़ | | 106.44 | 599.00 | 705.44 | 106.44 | 599.00 | 705.44 | 104.33 | 616.97 | 721.30 | |
| लोक निर्माण कार्य | | | | | | | | | | | |
| 1. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | 2059 | 5.00 | 180.00 | 185.00 | 6.14 | 179.50 | 185.64 | 6.00 | 187.00 | 193.00 |
| 2. | लघु निर्माण कार्यों सहित रख-रखाव और मरम्मत | 2059 | ... | 274.06 | 274.06 | ... | 274.56 | 274.56 | ... | 283.06 | 283.06 |
| 3. | कार्यालय इमारतों का निर्माण | | | | | | | | | | |
| 3.01 | लेखा-परीक्षा | 4059 | ... | 12.00 | 12.00 | ... | 18.00 | 18.00 | ... | 16.00 | 16.00 |
| 3.02 | वित्त (राजस्व) | 4059 | ... | 56.00 | 56.00 | ... | 64.55 | 64.55 | ... | 71.55 | 71.55 |
| 3.03 | गृह | 4059 | ... | 2.50 | 2.50 | ... | 2.50 | 2.50 | ... | 4.00 | 4.00 |
| 3.04 | शहरी विकास | 4059 | 20.00 | 16.00 | 36.00 | 23.00 | 16.00 | 39.00 | 27.00 | 17.00 | 44.00 |
| 3.05 | लेखन सामग्री और मुद्रण | 4059 | ... | 1.10 | 1.10 | ... | 3.75 | 3.75 | ... | 1.60 | 1.60 |
| 3.06 | कार्मिक तथा प्रशिक्षण | 4059 | ... | 12.00 | 12.00 | ... | 16.00 | 16.00 | ... | 6.00 | 6.00 |
| 3.07 | खान | 4059 | 4.90 | ... | 4.90 | 4.40 | ... | 4.40 | 4.90 | ... | 4.90 |
| 3.08 | गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत | 4059 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.15 | ... | 0.15 | 0.25 | ... | 0.25 |
| 3.09 | दूर संचार | 4059 | 10.27 | ... | 10.27 | 2.77 | ... | 2.77 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 3.10 | उपभोक्ता मामले | 4059 | 0.42 | ... | 0.42 | 1.30 | ... | 1.30 | ... | ... | ... |
| 3.11 | लोक सभा | 4059 | ... | 34.00 | 34.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 15.00 | 15.00 |
| 3.12 | विदेश | 4059 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 5.00 |
| 3.13 | उच्चतम न्यायालय | 4059 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 3.80 | 3.80 | ... | 3.50 | 3.50 |
| 3.14 | आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) | 4059 | 8.00 | ... | 8.00 | 5.50 | ... | 5.50 | 5.00 | ... | 5.00 |
| जोड़-कार्यालय-इमारतों का निर्माण | | | 43.79 | 139.60 | 183.39 | 37.12 | 139.60 | 176.72 | 47.15 | 139.65 | 186.80 |
| 4. | अन्य गैर-रिहायशी इमारतों का निर्माण | | | | | | | | | | |
| 4.01 | माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा | 4202 | 0.85 | ... | 0.85 | 1.56 | ... | 1.56 | 1.50 | ... | 1.50 |
| 4.02 | संस्कृति | 4202 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4.03 | स्वास्थ्य (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) | 4210 | 24.20 | ... | 24.20 | 28.64 | ... | 28.64 | 21.43 | ... | 21.43 |
| 4.04 | श्रम | 4250 | 13.03 | ... | 13.03 | 9.03 | ... | 9.03 | 11.90 | ... | 11.90 |
| 4.05 | लघु उद्योग | 4885 | 3.75 | ... | 3.75 | 3.75 | ... | 3.75 | 3.35 | ... | 3.35 |
| 4.06 | नौवहन | 5052 | 7.82 | ... | 7.82 | 7.20 | ... | 7.20 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 4.07 | भारतीय सर्वेक्षण | 5425 | 4.00 | ... | 4.00 | 8.00 | ... | 8.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| 4.08 | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग | 5455 | 4.00 | ... | 4.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| | | जोड़ | 57.65 | ... | 57.65 | 63.18 | ... | 63.18 | 51.18 | ... | 51.18 |
| 5. | अन्य संगठन | 2059 | ... | 5.34 | 5.34 | ... | 5.34 | 5.34 | ... | 7.26 | 7.26 |
| कुल जोड़ | | | 106.44 | 599.00 | 705.44 | 106.44 | 599.00 | 705.44 | 104.33 | 616.97 | 721.30 |
| ग. आयोजना परिव्यय* | | | | | | | | | | | |
| | | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब.बा.सं. | जोड़ |
| 1. | लोक निर्माण कार्य | 32059 | 25.00 | ... | 25.00 | 29.14 | ... | 29.14 | 33.00 | ... | 33.00 |
| | | जोड़ | 25.00 | ... | 25.00 | 29.14 | ... | 29.14 | 33.00 | ... | 33.00 |
| | | | 81.44 | ... | 81.44 | 77.30 | ... | 77.30 | 71.33 | ... | 71.33 |

* इस मांग में शामिल अन्य मंत्रालयों/ विभागों के लिए निर्माण कार्य परिव्यय को छोड़कर।

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय सरकार के समस्त सरकारी रिहायशी भवनों और गैर-रिहायशी भवनों का डिजाइन तैयार करने, उनका निर्माण और रख-रखाव करने के लिए एक प्रमुख अभिकरण है।

2. इसके अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों से संबद्ध गैर-रिहायशी भवनों, कार्यालय भवनों अन्य बड़े और छोटे निर्माण कार्यों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए प्रावधान किया गया है।

3 और 4 . इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से केन्द्रीय लोक निर्माण

विभाग द्वारा कार्यात्मक कार्यालय भवनों और अन्य गैर-रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।

5. इसमें भूमि तथा विकास कार्यालय के स्थापना व्यय और राजघाट समाधि समिति को अनुदान सहायता के लिए तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य प्रमुख समाधियों के रखरखाव तथा सुरक्षा हेतु प्रावधान शामिल किया गया है। भूमि तथा विकास कार्यालय दिल्ली में पुनर्वास विभाग द्वारा अंतरित नजूल भूमि पट्टों और पुनर्वास भू-सम्पत्तियों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।